

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

सुश्री बिन्दु बाला राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी
प्रकरण सं. 09/2022 वादपत्र धारा 48, 49, 88 आर.टी.एक्ट. 1955

किशनलाल पिता रामलाल जणवा नि. बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी ।

— वादी

॥ बनाम ॥

- 1- सम्पत पिता शंकरलाल जणवा नि. बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी
- 2- नर्बदा बाई पत्नी शंकरलाल जणवा नि. बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी
- 3- उंकारी पुत्री शंकरलाल जणवा नि. बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी
- 4- कमला पुत्री शंकरलाल जणवा नि. बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी
- 5- मीरा पुत्री शंकरलाल जणवा नि. बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी
- 6- ललिता पुत्री शंकरलाल जणवा नि. बड़वल तहसील बड़ीसादड़ी
- 7- भूमिधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

— प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वकील अनिल सोनावा तथा प्रतिवादीगण की ओर से वकील मुकेश जती गोस्वामी की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा बड़वल की आराजी नम्बर 1475 रकबा 1.3000 हैक्ट., आराजी नं. 1478 रकबा 0.0800 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 1.3800 हैक्ट. प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के नाम घोषित की जाती है। आराजी नं. 584 रकबा 0.3700 हैक्ट., आराजी नं. 587 रकबा 0.3300 हैक्ट. आराजी नं. 618 रकबा 0.2400 हैक्ट. कुल किता 3 कुल रकबा 0.9400 हैक्ट. भूमि वादी किशनलाल के नाम घोषित की जाती है। व प्रतिवादी क्रमांक 1 से लगायत 6 के नाम पर दर्ज 1/3 हक हिस्से की संयुक्त खातेदारी की आराजी नं. 766 रकबा 2.2200 हैक्ट. भूमि मे से 1/3 हक हिस्सा की भूमि वादी के नाम घोषित की जाती है।

इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जावे।

इस वाद के खर्च..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित..... को दी जावे।

यह आज दिनांक 17.01.2022 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।



न्यायालय सहायक कलक्टर, बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

(बिन्दु बाला राजावत)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

क्रमांक : राजस्व/2022/250

दिनांक : 19.1.2022

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेज कर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।



(बिन्दु बाला राजावत)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी